तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
12/7/22	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उप० विपक्षीगण अनुपस्थित। विपक्षीगण को कोर्ट समय में तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाई गईं। बावजूद आवाजें दिलाने के अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। वकील वादी की बहस सुनी। आदेश अलग से लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तहरीर जारी हो। तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	
	(sd/-) उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:[illegible]8:44 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 60 / 2022

प्रार्थीगण :–

1. हडुमानराम पुत्र सुरताराम
   जाति जाट निवासी हीरानगर, नौखड़ा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. किस्तूराराम पुत्र मगाराम जाति जाट निवासी हीरानगर तहसील गुड़ामालानी
2. तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 12.07.2022

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम चौसाला आधार सम्वत 2077–2077 जमाबंदी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी सरहद मौजा हीरानगर के खेत खसरा नम्बर 671, 672, 678 रकबा क्रमशः 0.0243, 0.0809, 15.9770 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अप[illegible] की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति [illegible] विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्[illegible] स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:08:44 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार